अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू द्वारा प्रस्तुत वर्तमान मौका स्थिति के नजरी नक्शे व जमाबंदी अनुसार नाप चौप कर सीमाज्ञान करवाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 111, 128, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते है कि ग्राम– आनन्दपुर कालू पटवार हल्का आनन्दपुर कालू प्रथम तहसील–जैतारण, जिला–पाली में स्थित प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 3011/1784 रकबा 0.2428 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल तथा खसरा नम्बर 597, 1709, 1709/2, 3011/1784, 1784/2101 की राजस्व भू नक्शा ट्रैस में विद्यमान त्रुटिपुर्ण तरमीम को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 136 एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकर्डस) नियम 1957 के नियम 60, 62, 66, 67, 187, 354, के अर्न्तगत दुरूस्त करते हुए पुनः नये सिरे से दिनांक 28.10.2024 को उपतहसीलदार, आ0कालू एवं भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू द्वारा प्रस्तुत वर्तमान मौका स्थिति के नजरी नक्शे के अनुसार शुद्ध करते हुए वादग्रस्त आराजी का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रकिया का अनुपालन करते हुए मुताबिक जमाबंदी, मौके स्थिति एवं भू नक्शे मौके अनुसार उक्त खसरान् का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण के हर्जे खर्चे से सीमाचिह्न अधिरोपित कर मौके पर वादग्रस्त आराजी की सीमा से सम्बन्धित विवाद का निस्तारण करे। प्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनॉक 25/11/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)